संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 29-08-2021**

आज दिनांक 29.08.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन मे जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महुली **श्री रणविजय सिंह** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा आज दिनॉक 29.08.2021 को मु0अ0सं0 253 / 2021 धारा 307 भादवि मे वांछित अभियुक्त हरिओम शुक्ला पुत्र गंगा नरायण शुक्ला निवासी तेनुआ थाना हरिपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- हरिओम शुक्ला पुत्र गंगा नरायण शुक्ला निवासी तेनुआ थाना हरिपुर बुदहट जनपद गोरखपुर।

पंजीकृत अभियोग –

1- पर मु0अ0सं0 253 / 2021 धारा 307 भादवि

घटना का विवरणः- उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.08.2021 को वादिनी के पति राजुकमार साहू को जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से गले पर वार कर घायल कर दिया गया था, जिसे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय संतकबीरनगर लाया गया था जहां पर मजरूब की हालत गंभीर होने के कारण उसे मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया था। घटना की संबन्ध में वादिनी (घायल की पत्नी) द्वारा दिनांक 26.08.2021 को थाना महुली पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना महुली पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगायी गयी थी। उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 29.08.2021 को घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव प्रभारी चौकी मोलनापुर मय हमराह।

संतकबीरनगर पुलिस

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 600 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 600 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त नाम पता विनीत श्रीवास्तव पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र श्रीवास्तव थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को मड़हाजोत के पास से गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 256 / 2021 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजेश कुमार मिश्रा, हे0कां0 आरिफ खान, हे0कां0 सुग्गन सिंह, कां0 गिरजेश मिश्रा, कां0 अंजेश गुप्ता।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 - राकेश पुत्र भूलन निवासी सई लगड़ी थाना बखिरा को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 – शेषमन पुत्र बलिकरन निवासी फेउसा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 268 / 2021, 269 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी राजेडीहा उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह, हे0कां0 देवेन्द्र यादव, हे0कां0 अजीत सिंह, हे0कां0 लालजी पासवान, हे0कां0 सुशील यादव, ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1- लालसा पुत्र राजबली निवासी परसवनिया थाना बखिरा 2 - राकेश पुत्र रामदेव निवासी कुल्हड़िया थाना बेलहकला जनपद संतकबीरनगर प्रत्येक के पास से 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर क्रमशः मु0अ0सं0 155 / 2021, 156 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- हे0कां0 धर्मनाथ यादव, कां0 कृष्ण नारायण गौड़।

संतकबीरनगर पुलिस

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2548 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कांटे से इवेन्ट संख्या 12359 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 02 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति नाम पता आशीष उपाध्याय पुत्र नरेन्द्र मणि निवासी जनपद गोरखपुर को प्राईवेट वाहन से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पलात भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 जितेन्द्र यादव, मु0आ0 नरसिंह यादव, हो0चा0 संजय चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 80 वाहनो से 73,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.08.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 80 वाहनो से 73,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।